समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

239

–: आदेश :–

30-08-2013 आवेदक **श्री अभिजीत कश्यप,** पिता–स्व0 पंडित राम नारायण शास्त्री, सा0–मेसर्स दीप शिखा गैस एजेन्सी, गोला मार्केट, राजेन्द्र नगर, थाना–कदमकुआँ, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–707/2010 कायम करते हुए सुनवाई की तिथि–30.08.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–30.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उन्हें L.P.G. का distributorship मिला हुआ है और उनकी गैस एजेंसी है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मार्च, 2013 में उनके साथ लूट की घटना घटी है। वे राजनीति से भी जुड़े हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

अंकनीय है कि आवेदक के आवेदन पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, पटना के पत्रांक–3927/श0, दि0–04.09.2010 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो आज तक अप्राप्त है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना एवं थानाध्यक्ष, कदमकुआँ से सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं

अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को हस्तगत रखते हुए पूर्व में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के पश्चात् उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु भी शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **श्री अभिजीत कश्यप,** पिता–स्व0 पंडित राम नारायण शास्त्री, सा0–मेसर्स दीप शिखा गैस एजेन्सी, गोला मार्केट, राजेन्द्र नगर, थाना–कदमकुआँ, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।